कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)
//संशोधित–आदेश//

क्रमांक/ 15 /एक/11/03/सां./2010 अशोकनगर, दिनांक 23.04.24

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश कं0 313/गोपनीय/2024/दो–3–1/2024 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा श्री अंशुल जैन, तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी का स्थानांतरण अन्य न्यायिक जिला स्थापना पर होने से उक्त न्यायालय रिक्त हो गया है।

अतः उक्त आदेश के फलस्वरूप कार्य विभाजन आदेश कं0 01 दिनांक 08.01.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
कार्य विभाजन आदेश कं0 01 दिनांक 08.01.2024 के पृष्ठ कमांक 16 के सरल कं0 25 के बिंदु कं0 01 को निम्नानुसार पढ़ा जावे एवं बिंदु कं0 08 के पश्चात् बिंदु कं0 08ए स्थापित किया जाकर सरल कं0 26 को निम्नानुसार विलोपित किया जाता है:–			
25	**व्य0 न्याया0, वरिष्ठ खण्ड, चंदेरी**	**तहसील चंदेरी**	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन एक रूपये से एक करोड़ रूपये तक, मय दीवालिया प्रकरण। 8ए. तहसील चंदेरी के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
26	**प्रथम व्य0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी**		विलोपित

नोटः–

आगामी आदेश तक तहसील चंदेरी से उत्पन्न व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रूपये एक से एक करोड़ रूपये तक है, मय दिवालिया प्रकरण के संस्थित किये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमती रितिका मिश्रा पाठक, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, चंदेरी, जिला अशोकनगर के न्यायालय को प्रदान किया जाता है वे तहसील चंदेरी के अंतर्गत लंबित व्यवहार प्रकरणों में कार्य विभाजन आदेश कं0 01/एक/11/03/सां0/2010 दिनांक 08..01.2024 के नोट की कंडिका 03 के आलोक में आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा आदेश 39 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता तथा इसी प्रकृति के अन्य अत्यावश्यक आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करेंगी।

sd/-
(पी0के0 शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म0प्र0)

पृ0 कमांक 886/एक–11–03/सां0/2010 अशोकनगर दिनांक 23-4-24

प्रतिलिपि :–

1. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, चंदेरी।
2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी।
3. जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर
5. कलेक्टर, अशोकनगर।
6. अध्यक्ष अभिभाषक संघ अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी की ओर सूचनार्थ।
7. प्रशासनिक अधिकारी/उप–प्रशासनिक अधिकारी
8. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म0प्र0)